राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड–भीलवाड़ा

रायला, गुलाबपुरा आवासीय योजना जिला भीलवाडा में पंजीकृत/ अपंजीकृत आवेदकों के लिए किराया क्रय पद्वति/नगद भुगतान पद्वति पर *खुली बिक्री योजना* के अन्तर्गत निर्मित आवासों का *''पहले आओ पहले पाओ''* आधार पर आवंटन का

स्वर्णिम अवसर

आवेदन पत्र बिक्री प्रारम्भ तिथी 19.05.2015
(कार्य दिवस/10.00 से 4.00 बजे तक)

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि
21.05.15 से 26.06.15
(कार्य दिवस/10.00 से4.00 बजे तक)

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पति निस्तारण अधिनियम 1970 के तहत गुलाबपुरा एवं रायला शहर में आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में उपलब्ध ''जहॉं है जैसे है'' स्थिति में निम्नांकित आवासों का निस्तारण खुली बिक्री योजनान्तर्गत किया जाना है :–

क्र. सं.	श्रेणी	आवास सं.	क्षेत्रफल (व. मी.)	निर्मित क्षे. (व. मी.)	लागत	आवेदन पत्र के साथ जमा कराने योग्य पंजीकरण एवं पूर्वग्रहण राशि	
						नकद भुगतान पद्धति के आवेदक	किराया क्रय पद्धति के आवेदक
गुलाबपुरा आवासीय योजना, जिला भीलवाडा–							
1	Gharonda (EWS)	2-A-14	3.75X8.00=30.00	15.400	335100/-	12000/-	12371/-
2	EWS	2-C-35, 2-C-38 = 2	3.75X8.00=30.00	12.750	277400/-	12000/-	12371/-
3	LIG	1-D-21, 1-D-22, 2-B-54, 2-D-16, 3-A-17, 3-F-17, 3-F-19 = 7	5.25X11.25=59.06	31.070	640600/-	25000/-	25773/-
4	LIG	3-B-7, 3-B-14, 3-F-25 = 3	5.25X11.25=59.06	44.180	753700/-	25000/-	25773/-
5	MIG-A	3-A-4	6.00X15.00=90.00	42.451	1034600/-	90000/-	92781/-
6	MIG-A	1-E-22, 1-E-24 = 2	6.00X15.00=90.00	68.910	1714300/-	90000/-	92781/-
7	MIG-A	3-D-25	6.00X15.00=90.00	74.080	1774400/-	90000/-	92781/-
8	MIG-A	2-E-6, 2-E-12, 2-E-22, 3-C-5, 3-C-9, 3-C-17 = 6	6.00X15.00=90.00	55.880	1357000/-	90000/-	92781/-
रायला आवासीय योजना, जिला भीलवाडा–							
1	EWS	3/72, 4/26 = 2	4.60X9.75=44.85	12.760	221100/-	12000/-	12371/-
2	EWS	1/11, 1/12, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/27, 5/17, 5/26, 5/30, 5/34, 5/36, 5/41, 5/42, 5/46, 5/48, 5/49, 5/50, 5/53, 5/54, 5/58, 5/59, 5/63, 5/64, 5/68, 5/69, 5/72, 6/28, 6/30, 6/33, 6/34, 6/35, 6/37, 6/38 = 35	5.25X11.25=59.06	42.220	871900/-	12000/-	12371/-

1 इस योजनान्तर्गत मण्डल में पूर्व पंजीकृत आवंदकों के अतिरिक्त नए अपंजीकृत आवेदक भी आवास आवंटन हेतु आवेदन कर सकते है।
2 आवेदन पत्र 100/– रूपये के नगद भुगतान पर दिनांक 19.05.2015 से योजनावधि तक कार्यालय समय में खण्ड कार्यालय सें प्राप्त किये जा सकते है।
3 आवासो का आवंटन "जहॉं है जैसा है" की स्थिति पर किये जावेंगे तथा इस विषय में कोई आक्षेप स्वीकार नही किया जावेगा।
4 आवासो का आवंटन प्रस्तुत आवेदन फार्म में अंकित भुगतान पद्धति के विकल्पानुसार वरीयता का क्रम इस प्रकार किया जावेगा– नकद भुगतान पद्धति के उसी आयवर्ग के पूर्व पंजीकृत आवेदक, नकद भुगतान पद्धति के नए अपंजीकृत आवेदक, किराया क्रय प्रद्धति के पूर्व पंजीकृत आवेदक तथा किराया क्रय पद्धति के नए अपंजीकृत आवेदक।
5 इस योजना में नगद भुगतान पद्वति के तहत आवंटन पर सर्विस टेक्स देय नही होगा।
6 आवेदन पत्र मूल आवेदक के स्वयं कार्यालय में उपस्थित होने पर ही स्वीकार किये जावेंगे।
7 लागत के अतिरिक्त लीज राशि, विविध खर्च, कॉर्नर चार्ज, अतिरिक्त भूमि की राशि एवं अन्य राशि बोर्ड नियमानुसार पृथक से देय होगी।
8 आवेदन पत्र प्रति दिन सांय चार बजे तक प्राप्त किये जायेगे तथा एक ही आवास हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर उसी दिन सायं 4.30 बजें लॉटरी के माध्यम से आवास आवंटन किया जावेगा।
9 पूर्व पंजीकृत आवेदकों को पंजीकरण निरस्त नही होने अथवा पुनर्जीवित से संबंधित साक्ष्य एवं पूर्व पंजीकरण के अन्तर्गत जमा राशि के रिफण्ड नही होने तथा पंजीकरण के अन्तर्गत कोई अन्य आवास आवंटित नही होने का 20/– रूपयें के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटेरी से सत्यापित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
10 आवेदको को अपनी पहचान एवं पते के प्रमाणित दस्तावेज की सत्यापित प्रति आवेदन पत्र के साथ सलंग्न करनी होगी।
11 नकद भुगतान पद्धति के आवंटियों को आवंटन पत्रानुसार प्रारम्भिक मांग राशि आवंटन पत्र जारी होने के तीन माह में जमा करानी होगी तथा किराया क्रय पद्धति के आवंटियों को आवंटन पत्रानुसार मांग राशि एक माह में जमा करानी होगी।
12 आवंटन पश्चात निर्धारित तिथि तक राशि जमा नही कराने पर मण्डल नियमानुसार कटौती करते हुए शेष जमा राशि बिना ब्याज लौटा दी जाएगी।
13 योजना के नियम, शर्ते एवं अन्य विवरण का उल्लेख आवेदन फार्म में वर्णित है।
14 योजना में प्रस्तावित किसी भी आवास को लेकर विवाद होने पर उक्त आवास के संबंध में निर्णय करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा।

सम्पर्क सूत्र

परियोजना अभियन्ता (व.) मो. 9983195578
सहायक सम्पदा प्रबंधक मो. 9460477894
खण्ड – भीलवाडा

आवासीय अभियन्ता, खण्ड भीलवाड़ा
सी–289–290 आर.के.कॉलोनी, भीलवाड़ा
मो. 9982229647, 01482-220312